

कार्यालय नगर परिषद भितरवार जिला ग्वालियर (म0प्र0)

दूरभाष एवं फैंक्स नम्बर 07525287705 एवं ई-मेल cmobitarwar@gmail.com
क्रमांक / निर्माण / 2025 / 199

भितरवार दिनांक 16/12/25


—: ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना :—

एतद् द्वारा मिनी फायर वाहन कय प्रदाय करने हेतु निर्माता कंपनी के द्वारा अधिकृत विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद भितरवार को नवीन फायर वाहन कय करना है। ई-टेंडरिंग वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर नीचे दर्शित तालिका अनुसार निम्न वाहन कय किये जाने हेतु ऑनलाईन निविदा (लमसम) दिनांक 21.01.26 समय 5:30 pm तक आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्नानुसार है—

क्र.	कार्य का नाम	टेंडर क्रमांक	अनुमानित राशि (लाख में)	ई.एम.डी राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य अवधि
01	PURCHASE OF NEW FIRE BRIGADE WITH FABRICATION AND ACCESSORIES AS ATTACHED PER GUIDELINE	2025_UAD- 469811-1	2500000/-	18750/-	5000/-	02 माह

- 1- निविदा प्रपत्र ऑनलाईन निविदा दिनांक 21.01.26 को समय 17:30 तक ऑनलाईन कय किये जा सकते हैं।
- 2- निविदा प्रपत्र ऑनलाईन निविदा प्रकाशन से दिनांक 21.01.26 को समय 17:30 तक ऑनलाईन प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
- 3- प्राप्त निविदाओं के मेंडेटरी बिड दिनांक 22.01.26 प्रातः 10:00 से खोली जावेगी।
- 4- निविदाकार को निर्माता कंपनी के द्वारा अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र, ई.एम.डी, पैमेंट ऑफ बिड डॉक्युमेंट, पेन नंबर मध्यप्रदेश का जी.एस.टी नंबर, 200 रुपये के शपथ पत्र पर निर्धारित प्रपत्र में कॉपी एवं पूर्व में किये गये संबंधित कार्य के कम से कम 03 कार्यादेश प्रस्तुत करने होंगे।
- 5- निविदाकार को 2 प्रतिशत राशि परफारमेंस सिक्योरिटी के रूप में जमा करनी होगी।
- 6- म.प्र. राजपत्र प्रकाशन दिनांक 13.08.2018 में लेखा नियम अंतर्गत किये गये सभी संशोधन मान्य होंगे।
- 7- विवाद का न्यायालयीन क्षेत्र डबरा होगा।
- 8- निविदा प्रपत्र एवं अनुबंध शर्तें संलग्न जो अनुबंध का हिस्सा रहेगी।
- 9- वाहन आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन एवं फस्ट पार्टी बीमा सहित प्रदाय करना होगा जिसके लिये निकाय द्वारा पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 10- निर्माता कंपनी द्वारा अधिकृत विक्रेता के द्वारा ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11- ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ चेसिस मेन्युफैक्चरर प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
- 12- वाहन के संलग्न स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों का अवलोकन करें।
- 13- अधिकृत विक्रेता के द्वारा अधिकृत/उपअधिकृत विक्रेता मान्य नहीं किया जावेगा।
- 14- किसी दर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 15- सफल बोलीदार/ठेकेदार को जी.एस.टी का भुगतान पृथक से किया जावेगा तथा देयकों से शासन के नियमानुसार कटौती किया जावेगा।
- 16- ई-निविदा में यदि कोई भी संशोधन किया जाता है तो उसे ई-टेंडरिंग वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर देखी जावे। अन्य समस्त जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में कार्यालय के लोकनिर्माण शाखा में देखी जा सकती हैं।
- 17- निविदाकार द्वारा फायर वाहन की Third party inspection Report, NABL अधिकृत लैब से तैयार कराकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

बलदेव अग्रवाल
अध्यक्ष
नगर परिषद, भितरवार


रीम कलासिया
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद भितरवार